

8

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल सार्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा म0प्र0



R5105-II/16

भागवत तनय मोहन लोहार निवासी ग्राम चुबाही तहसीली मझौली जिला सीधी म0प्र0 RS 20
— अपीलार्थी

बनाम

- 1- मुस0 लीलावती पत्नी स्व0 धनुका काछी
- 2- बैजनाथ तनय धनुका काछी
- 3- जगदीश तनय धनुका काछी
- 4- मुस0 प्रेमवती पत्नी स्व0 काशी प्रसाद काछी
- 5- गुरुदयाल तनय धनुका काछी ,
- 6- यज्ञनारायण तनय धनुका काछी
- 7- सूर्यबली तनय धनुका काछी

श्री. सुनील तिवारी
द्वारा आज दिनांक 25-2-16 को
प्रस्तुत किया गया।
एड
के
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

सभी निवासी ग्राम चुबाही तह0 मझौली जिला सीधी म0प्र0

- 8- रामसुमिरन उर्फ जोखई तनय रामगरीब लोहार
 - 9- रामकुमार उर्फ मुंडा तनय रामगरीब लोहार निवासी ग्राम करमाई थाना मझौली जिला सीधी म0प्र0
- रेस्पा0गण

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा कैप कोर्ट सीधी म0प्र0द्वारा प्रकरण क्र0 1065 / अपील / 2011-12में पारित आदेश दिनांक 02 / 12 / 2015

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

- 1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा द्वारा कैप कोर्ट सीधी म0प्र0 में प्रकरण क्रमांक 1065 / अपील / 2011-12 में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र० R.5105-II/16

जिला-सीधी

भागवत लोहार/मुस० लीलावती काछी

(1)	(2)	(3)
01.02.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	